न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–जीसीएमएस नं. 2022/271

1. श्री गफूर खॉ पुत्र श्री वजीर खॉ जाति मेव निवासी ग्राम मन्नाका तहसील अलवर पुलिस थाना एन.ई.बी. अलवर जिला अलवर।

–अपीलान्ट्स

बनाम

1. जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, अलवर।

–रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 18 शस्त्र अधिनियम 1959 विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अलवर दिनांक 09.04.2014

उपस्थितिः–

1. श्री होशियार सिंह, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से

निर्णय

दिनांकः 30.01.2024

1. यह अपील अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.04.2014 से असंतुष्ट होकर शस्त्र अनुज्ञापत्र 1959 के अन्तर्गत धारा 18 के तहत प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के साथ दिनांक 25.05.2022 को प्रस्तुत की गई।

2. प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि अपीलार्थी श्री गफूर खॉ पुत्र श्री वजीर खॉ निवासी मन्नाका बास, अलवर एनईबी जिला अलवर ने दिनांक 05.02.2013 को आर्म्स लाईसेंस संख्या 381/85 जिस पर 20 बोर लाईसेन्स संख्या 381/85 (65/रिवा.) दिनांक 31.12.2012 तक नवीनीकृत है, के आगामी नवीनीकरण प्रार्थना पत्र पेश किया। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अलवर द्वारा निर्णय दिनांक 09.04.2014 द्वारा पुलिस अधीक्षक अलवर की अनुशंषा के आधार पर लाईसेन्सी श्री गफूर खॉ पुत्र श्री वजीर खॉ निवासी मन्नाका बास, अलवर थाना एनईबी जिला अलवर द्वारा दिनांक 05.02.2013 को नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं।

3. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अलवर के उक्त निर्णय दिनांक 09.04.2014 से व्यथित होकर अपीलान्ट श्री गफूर खॉ पुत्र श्री वजीर खॉ निवासी मन्नाका बास, अलवर थाना एनईबी जिला अलवर द्वारा यह अपील प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अलवर दिनांक 05.02.2013 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधिनस्थ न्याायालय का तहत रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

5. वकील अपीलार्थी ने बहस के दौरान अपील के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलान्ट को एक भास्त्र इकनाली बन्दूक 20 बोर का लाइसेन्स संख्या 381/85 (65/रिवा.) रेस्पोडेन्ट द्वारा जारी किया गया था, जिसके तहत अपीलान्ट ने एक 20 बोर एसबीबीएल गन संख्या 4632 खरीद की हुई थी। अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट के आदेश पर अपनी उक्त लाइसेन्सशुदा बन्दूक को अधिकृत शस्त्र विक्रेता प्रताप गन हाउस मेहताब सिंह का नोहरा, अलवर में जमा करवा दिया। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की कोई प्रति आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुई है। अपीलान्ट ने अनेकों बार अपना अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया किन्तु उसके जवाब में भी आज तक रेस्पोडेन्ट कार्यालय से अपीलान्ट को किसी तरह की सूचना अथवा जानकारी नहीं दी गई न ही आलोच्य आदेश से अवगत कराया गया। दिनांक 27.09.2017 को अपीलान्ट ने अपने उक्त शस्त्र अनुज्ञा पत्र के नवीनीकरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर बाकायदा रेस्पोडेन्ट के कार्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यालय पुलिस अधीक्षक, अलवर से रिपोर्ट मांगी गई, जो पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने रेस्पोडेन्ट के कार्यालय में प्रस्तुत कर दी गई। अपीलान्ट के विरूद्व सन 2009 के बाद कोई आपराधिक मामला कहीं भी दर्ज नहीं हुआ है और पूर्व में जो प्रकरण दर्ज हुए वे आपसी कहासुनी की वजह से झूठें दर्ज हुए। अपीलान्ट कभी भी आदतन अपराधी नहीं रहा है। सभी प्रकरणों में अपीलान्ट को बाइज्जत बरी किया गया। केवल मात्र एक प्रकरण में दोषसिद्व किया गया है, जिसमें भी अपीलान्ट को प्रोबेशन का लाभ दिया गया। पिछले 10 वर्ष से भी अधिक समय से अपीलान्ट के विरूद्व कहीं भी किसी तरह का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। अपीलान्ट एक संजीदा व्यक्ति है तथा उसकी स्वयं की जानमाल की सुरक्षा हेतु अपीलान्ट को भास्त्र की सद्भाविक रूप से जायज आवश्यकता रहती है। अपीलान्ट की पत्रावली पर अन्तिम नोटशीट दिनांक 09.02.2022 की है, जिसमें भी स्पष्ट किया गया है कि पुलिस अधीक्षक, अलवर ने जो रिपोर्ट भेजी है, उसमें अपीलान्ट के विरूद्व चार प्रकरण दर्ज होना अंकित किया है तथा चारों प्रकरण में अपीलान्ट को दोषमुक्त होना भी अंकित किया गया है किन्तु इस कार्यालय की टिप्पणी के बाद भी अपीलान्ट की पत्रावली पर किसी तरह की कार्यवाही अमल में नही लाई गई। अपीलान्ट ने जब सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने शस्त्र के नवीनीकरण से संबंधित पत्रावली में कार्यवाही की जानकारी चाही तो अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलान्ट को दी गई। किन्तु पत्रावली को देखने से यह भी स्पष्ट हुआ कि अपीलान्ट के नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर आवश्यक कार्यवाही सम्पादित की गई है। आदेश दिनांक 09.04.2014 का उल्लेख किसी भी कार्यालय टिप्पणी में नहीं किया गया है। इस तरह अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञा पत्र की पत्रावली में कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है, जो अपीलान्ट के अनुज्ञा पत्र के नवीनीकरण में बाधक बनता हो। अपीलान्ट एक वरिष्ठ नागरिक है, जिसकी पहचान सामाजिक एवं राजनैतिक क्षेत्र में शान्ति प्रिय संजीदा व स्वच्छ छवि वाले इंसान के रूप में बनी हुई है। अपीलान्ट सदैव जिला स्तर पर सामाजिक समरसता की गतिविधियों में शरीक रहा है तथा सामाजिक सौहार्द के कार्य निरन्तर करता आ रहा है। पिछले 10 साल से भी अधिक समय से अपीलान्ट के विरूद्व किसी भी तरह का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है, ना ही स्थानीय प्रशासन की किसी रिपोर्ट में अपीलान्ट को आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति होना दर्शित किया गया है। ऐसी स्थिति में मिन अपीलान्ट के आचरण पर कोई प्रश्नचिन्ह नहीं है, न ही अपीलान्ट के आचरण को असंतोषप्रद माना जा सकता है। इसलिए आलोच्य आदेश कतई मनमाना एवं विधि विरूद्व होने के कारण

संभागीय आयुक्त
जयपुर

निरस्त किए जाने योग्य है तथा अपीलान्ट का शस्त्र लाईसेन्स नवीनीकरण किए जाने योग्य है। आलोच्य आदेश अपीलान्ट को बिना सुने व बिना तलब किए तथा बिना कोई नोटिस दिये अपीलान्ट की अनुपस्थिति में एकपक्षीय तरीक पर पारित किया गया है, जो कि न्याय के सुस्थापित सिद्धांतो के खिलाफ होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है। अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञा पत्र के नवीनीकरण हेतु चल रही कार्यवाही के बारे में रेस्पोडेन्ट के दिनांक 10.03.2022 के पत्र, जो कि अपीलान्ट को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जारी किया गया है, से अपीलाधीन आदेश व उससे संबंधित तथ्यों की सर्वप्रथम जानकारी हुई है। जिससे अपील हाजा बिना देरी के अदालत श्रीमान में प्रस्तुत है। विलम्ब का समय मियाद में कन्डोन कराने हेतु पृथक से प्रार्थना पत्र जेर दफा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत है। अतः अपील प्रस्तुत कर प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अलवर दिनांक 09.04.2014 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र को नवीनीकरण किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

6. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अलवर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.04.2014 द्वारा पुलिस अधीक्षक अलवर की अनुशंषा के आधार पर श्री गफूर खॉ पुत्र श्री वजीर खॉ निवासी मन्नाका बास, अलवर एनईबी जिला अलवर ने दिनांक 05.02.2013 को आर्म्स लाईसेंस संख्या 381/85 (65/रिवा.) जिस पर 20 बोर एसबीबीएल गन संख्या 4632 का इन्द्राज एवं दिनांक 31.12.2012 तक नवीनीकृत है, के आगामी नवीनीकरण प्रार्थना पत्र पेश किया। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अलवर द्वारा निर्णय दिनांक 09.04.2014 द्वारा पुलिस अधीक्षक अलवर की अनुशंषा के आधार पर लाईसेन्सी श्री गफूर खॉ पुत्र श्री वजीर खॉ निवासी मन्नाका बास, अलवर थाना एनईबी जिला अलवर द्वारा दिनरांक 05.02.2013 को नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत् निर्णय पारित किया गया है जो कि उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। जिससे जाहिर है कि अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में मुख्य आधार अनुज्ञाधारी के विरूद्ध मुकदमें दर्ज होना एवं पुलिस अधीक्षक अलवर द्वारा अनुशंषा नहीं किया जाना अंकित किया गया है, अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर द्वारा प्रार्थी को आपराधिक मामले में माननीय न्यायालय से दोषी माना जाकर परीविक्षा अधिनियम का लाभ दिया गया है एवं दो आपराधिक मामले अभी न्यायालयों में विचाराधीन है। ऐसा व्यक्ति जिसके विरूद्ध माननीय न्यायालय में आपराधिक मामले विचाराधीन हो, एवं किसी

संभागीय आयुक्त
जयपुर

आपराधिक मामले में दोषसिद्ध किया जा चुका है हो, उसका आचरण सन्तोषजनक नहीं माना जा सकता है। पुलिस अधीक्षक अलवर से प्राप्त प्रतिकूल टिप्पणी, आयुद्ध अधिनियम, 1959 के तहत बनाये गये नियम एवं लाईसेंसस नवीनीकरण के सम्बन्ध में भारत सरकार गृह मंत्रालय व गृह विभाग राजस्थान सरकार से जारी निर्देशानुसार किसी भी व्यक्ति का आचरण सन्तोषजनक नहीं पाये जाने पर आर्म्स लाईसेंस दिया जाना/नवीनीकरण किया जाना उचित नहीं माना है। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 05.02.2013 को नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.04.2014 पारित किया है। जिसमें कोई त्रुटि नही है। अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य प्रतीत होती है।

अतः आदेश हैं कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर दिनांक 09.04.2014 यथावत रखा जाता है।

(डॉ. आरुषी मलिक)
संभागीय आयुक्त
जयपुर

संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 30.01.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

संभागीय आयुक्त
जयपुर